वित्तीय स्वीकृति

संख्या-04/2026/1533/18-2-2025-18-2002/18/2025

प्रेषक

शिशिर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 23 जनवरी, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-06-जिला उद्योग केन्द्र-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के पत्रां-83/4-वित्त-बजट-अनुपूरक /2025-26, दिनांक 01-12-2025 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्षक-2851—ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-06-जिला उद्योग केन्द्र-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान योजना के अन्तर्गत अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि रूपये 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नई मदों पर उपयोग नहीं किया जायेगा तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि का वितरण कर उसके आदेश की प्रति शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अधीनस्थ कार्यालयों को धनराशि वितरित करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया जाय कि वित्त आय(आय-ब्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 एवं मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय न किया जाय तथा व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102--लघु उद्योग-06-जिला उद्योग केन्द्र-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

शिशिर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

भवदीय

शिशिर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।